किसान ऋण मुक्ति विधेयक (2017) : सारांश

सारांश

इस बिल के दो पहलू हैं, 1. वर्तमान में किसानों पर सभी प्रकार के ऋणों से तत्काल राहत देना , 2. ऋण राहत आयोग की स्थापना कर किसानों को भविष्य में ऋण के जंजाल से मुक्त करना.

तत्काल ऋण राहत का काम सरकार द्वारा किया जायेगा. जिसमे बैंकों से लिए गये ऋण के साथ साथ गैर सांस्थानिक स्रोतों से लिया ऋण भी शामिल है. इसके लिए सरकार ऋण स्वैपिंग के जरिये गैर सांस्थानिक ऋणों को बैंक ऋण में बदलेगी. इसके बाद बैंक ऋण से किसानों को मुक्त किया जायेगा. बिल का दूसरा हिस्सा एक ऐसी वैधानिक प्रणाली बनाने को लेकर जो भविष्य में किसान को कर्ज़ जाल से में फसने से बचा सके।

आगे से किसान ऋण राहत आयोग के पास किसी क्षेत्र या फसल के आपदाग्रस्त घोषित करने की विधायी शक्ति होगी. आपदा की स्थिति में वह किसानों को ऋण राहत देने के लिए कुछ निर्देश जारी कर सकता है. जिसमे ऋण के नियमन यथा ब्याज दरों का निर्धारण, सेटलमेंट, ऋण स्वैपिंग आदि शामिल है. आपदाग्रस्त क्षेत्रों में बैंक द्वारा ऋण की वसूली 3 साल से पहले करने की मनाही होगी।

यह बिल सभी राज्यों को राहत आयोग बनाने और उसे लागू करने के लिए एक मॉडल प्रदान करता है। राज्यस्तरीय कृषि ऋण राहत आयोग की शक्ति सभी प्रकार के ऋणों में दखल की होगी। जिसमें कोआपरेटिव बैंक, गैर सांस्थानिक लोन भी शामिल है। यह आयोग ऋणाधार पर बैंकों द्वारा कार्यवाई जैसे नीलामी, अटैचमेंट का भी नियमन करेगी।

भविष्य में किसानों पर कर्जे का बोझ कम करने के लिए इस बिल में असरकारी फसल बीमा, आपदा राहत और कम लागत कृषि पद्धतियों को अपनाने के प्रावधान शामिल हैं.

किसानों को तत्काल ऋण मुक्ति प्रदान करने के लिए और उन किसानों को, जो कि कर्ज के कारण संकट में हैं, निरंतर राहत प्रदान करने के लिए एक विधेयक, जिसमें पुरस्कारों को पारित करने की शक्ति के साथ एक कमीशन का गठन करने और कर्जदार किसानों की शिकायतों के निवारण के लिए उचित उपाय/ तंत्र सुझाने के लिए प्रावधान होंगे।

भाग I: परिभाषा और अर्थ

1. "**कृषि**" में बागवानी, खेती और औषधीय पौधों, फसलों, फलों, सब्जियों, दूध उत्पादन, वन उत्पादों का संग्रहण, फूल, चारा के लिए घास और पेड़, नर्सरी, मछली, मधुमख्खी, रेशम कीट, मुर्गी पालन, बत्तख, सूअर सहित मवेशियों का सहित कृषि पशुओं की खेती और कृषि संबद्ध गतिविधियों या किसी अन्य कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि का उपयोग करना शामिल है।
2. "किसान" का अर्थ है एक व्यक्ति जो आर्थिक कार्यकलापों और / या आजीविका के लिए सक्रिय रूप से फसल उगाने की गतिविधि में लगा हुआ है, या भूमि स्वामित्व के साथ या बिना, अन्य प्राथमिक कृषि वस्तुओं का उत्पादन करता है। इसमें सभी जमीन के मालिकाना हक वाले किसानों, कृषि श्रमिकों, पट्टेदार किसान , किरायेदारों, कुक्कुट और पशुधन के पुनर्विक्रेताओं, मछुआरों, मधुमक्खी पालन, पशुचारियों, गैर-कॉरपोरेट प्लांटर्स और रोपण

मजदूरों के साथ-साथ वन-संग्रहकर्ता भी शामिल हैं। सामूहिक रूप से स्वामित्व, या पट्टे की भूमि पर खेती करने वाले स्वयं सहायता समूह शामिल हैं.

3. **"ऋण"** से तात्पर्य ऋण है इस अधिनियम के अधिसूचित होने से पहले किसी भी तरह की देनदारी, चाहे वह सांस्थानिक अथवा गैर सांस्थानिक स्रोतों से लिया गया ऋण हो, राज्य द्वारा किसी विशेष संकटग्रस्त क्षेत्र में सरकार के गैजेट निर्दिष्ट करता ऋण हो, चाहे किसी अनुबंध के तहत, या किसी न्यायालय या ट्रिब्यूनल के आदेश (डिक्री) के तहत या निजी लेनदार के लिए देय राशि शामिल है; लेकिन इसमें कृषि संबद्ध व्यावसायिक उद्देश्यों के अलावा लक्जरी के लिए कोई भी ऋण राशि शामिल नहीं है.

भाग II: ऋण से तत्काल मुक्ति

- सभी किसान बिना किसी शर्त 20 नवंबर 2017 तक लिए गये सभी प्रकार के सांस्थानिक ऋणों से मुक्ति के हक़दार होंगें।
- वैसे किसान जिन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष के ऋण वापस कर दिये हैं, उनके खातों को उगाए गए फसल के लिए वित्त के पैमाने की मात्रा (scale of finance) के बराबर क्रेडिट प्राप्त करने के हकदार होंगें।
- ऋण स्वैपिंग का कार्यान्वयन सरकार द्वारा किया जाएगा। गैर सांस्थानिक ऋण को बैंक लोन में बदला जाएगा।
- ऋण स्वैपिंग की प्रक्रिया पूरा होने के बाद बैंक लोन से मुक्त किया जाएगा।
- सभी प्रकार के ऋणों को एक बार में ख़त्म किया जायेगा. अगले सीजन में सभी किसानों को नया ऋण मुहैया कराया जाएगा, जिसका पहले किये गए ऋण मुक्ति से कोई संबंध नहीं होगा।

भाग III: किसान ऋण राहत आयोग

- सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय राष्ट्रीय ऋण राहत आयोग का गठन किया जाए, जिसमें न्यायपालिका द्वारा नामित 2 जज, 4 किसानों के प्रतिनिधि, 2 कृषि विशेषज्ञ और 1 कोऑपरेटिव/आर्थिक मामलों का जानकार शामिल होगा।
- यह आयोग ऋण मुक्ति के कार्यान्वयन की निगरानी का काम करेगा। ऋण मुक्ति से संबंधित किसानों की शिकायतों की सुनवाई को सक्षम आयोग सरकार के प्रक्रियाओं में आदेश जारी कर सकता है।
- इस आयोग के पास जिले या उसके किसी हिस्से को आपदा प्रभावित घोषित करने की शक्ति होगी। ऐसे आपदा की घोषणा किसी खास फसल के मामले में भी हो सकती है। आयोग संज्ञान लेकर अथवा आवेदन मिलने पर जांच कराकर आपदा घोषित करने को स्वतंत्र होगा।
- किसी हिस्से या फसल के आपदाग्रस्त घोषित होने के बाद आयोग आंशिक या पूर्ण ऋण राहत की अनुसंशा करेगा। जो सरकार बैंकों के माध्यम से किसानों को देगी।
- आपदा प्रभावित क्षेत्रों या फसलों में आयोग निम्न आदेश जारी कर सकता है::
    - इसमें किसानों द्वारा लिए गए ऋण की पुनर्संरचना की जाएगी. अल्पकालिक ऋण को मध्यकालिक ऋण और मध्यकालिक ऋण को दीर्घकालिक ऋण में बदला जाएगा।
    - ऋण की कुछ राशि की अदायगी से छुट दी जा सकती है.
    - इसमें NPA मानकर ऋण की एकबारगी सेटलमेंट का भी प्रावधान है।
    - कुछ परिस्थितियों में दंड स्वरूप लगाए गए ब्याज या सम्पूर्ण ब्याज से मुक्त किया जा सकेगा।

- यह आयोग आपदा प्रभावित जिलों में छोटी बेंच की बैठक करेगा संकट की समीक्षा करेगा।
- गैर सांस्थानिक स्रोतों से लिये गए ऋण के मामले में-
    - ब्याज की दर का निर्धारण कर सकेगा. कुछ मामलों में आयोग सरकार को व्याज के भुगतान के लिए कह सकता है.
    - ऋण स्वैपिंग के जरिये गैर संस्थानिक ऋणों को बैंक लोन में बदलने का आदेश जारी कर सकेगा।
    - फसल नष्ट होने की दशा में ऋण वसूली रोकने के लिए बैंकों को आदेश जारी कर सकेगा, जिसकी अवधि 3 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती है।
- यह आयोग आपदाग्रस्त किसान से वाणिज्यिक बैंक में ऋण संबंधी व्यक्तिगत आवेदन प्राप्त कर सकता है और उसे राहत को आदेशित कर सकता है।
- जब किसी हिस्से या फसल के आपदा ग्रस्त होने की घोषणा कर दिया जाये, बैंकों को ऋण वसूली की अनुमति नही होगी।
- आयोग सरकार को ब्याज या पूरे ऋण को ख़त्म के लिए आदेशित कर सकता है. इसके लिए ऋण को एकमुश्त ख़त्म करने या उसकी पुनर्संरचना के प्रावधान हैं.

भाग IV: केंद्र सरकार के कर्तव्य

- केंद्र सरकार किसानों को तत्काल ऋण राहत देने के लिए आवश्यक धनराशि मुहैया कराएगा। इसकी जिम्मेदारी ऋण राहत आयोग के आदेशों, अनुसंशाओं को लागू करने की भी होगी।
- सरकार अधिसूचना जारी कर कुछ संपत्तियों को बैंकों द्वारा जब्त, नीलाम करने से मना कर सकती है।
- केंद्र सरकार, राज्यों में लागू किये जाने योग्य एक मॉडल एक्ट तैयार करेगा। इस एक्ट में राज्य ऋण राहत आयोग बनाने के प्रावधान शामिल होंगें, जो कोऑपरेटिव और गैर सांस्थानिक ऋण के मामलों की सुनवाई करेगा।
- सरकार प्रभावी फसल बीमा योजना लागू करेगी जो किसानों को आपदा के समय राहत देने का काम करे.
- सरकार बड़े पैमाने पर कम लागत एवं पारिस्थितिकी के अनुरूप कृषि को प्रोत्साहित करेगी जिससे किसानों पर कम से कम कर्ज़ हो.
- सरकार ऋण देने के प्राथमिक क्षेत्र में सुधार करेगी जिससे ऋण का लाभ वास्तविक किसान, बटाईदार और सीमांत किसान को मिलना सुनिश्चित किया जा सके.